



शिक्षण का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों के मान्यता से संबंधित प्रतिवेदन

विधानसभा / प्रखण्ड का नाम	सिल्ली
विद्यालय का नाम	इण्डाल हाई स्कूल (+2) <del>सिल्ली</del> मुरी
विद्यालय स्थापना का वर्ष	1962
न्यास. प्रबंधन समिति निर्माण की स्थिति (निबंधित होना अनिवार्य है)	
<del>न्यास/सोसाइटी/प्रबंधन समिति का नाम</del>	न्यास/सोसाइटी रजिस्टर्ड है अथवा नहीं/रजिस्ट्री का वर्ष
इण्डालकी मुरी विद्यालय सोसाइटी इण्डाल हाई स्कूल	है, 2025-26.
विद्यालय किस क्षेत्र में अवस्थित है (ग्रामीण/शहरी)	ग्रामीण
भूमि रकबा शहरी क्षेत्र के लिए	
मध्य विद्यालय (0.75 एकड़)	प्राथमिक विद्यालय (40 डिसमील)
—	—
भूमि रकबा ग्रामीण क्षेत्र के लिए	
मध्य विद्यालय (1 एकड़)	प्राथमिक विद्यालय (60 डिसमील)
3.84 एकड़	
भूमि निबंधित है या लीज। भूमि का निबंधन/लीज कितने वर्षों है। (30 वर्षों से अधिक मान्य)	लीज 60 वर्षों के लिए
भूमि का निबंधन/लीज किस नाम से है। (ट्रस्ट/न्यास/विद्यालय/सचिव/अध्यक्ष)	न्यास, इण्डालकी मुरी एजुकेशन सोसाइटी
भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत है/नहीं।	है
विद्यालय की मान्यता हेतु चालान का संख्या/तिथि (वर्ग 1-5 हेतु 12500/- एवं वर्ग 1-8 हेतु 25000/-)	GRN-2501544692 Dated 03-04-2025.
विद्यालय के नाम से सावधि जमा राशि 1 लाख रुपये जमा है अथवा नहीं (यदि जमा है तो संख्या/तिथि)	है, A/C NO. 301002010009694 Dated 13-10-2025.
वर्ग कक्ष का संख्या एवं आकार (न्यूनतम 18X22)	वर्ग कक्ष=16, साईज 25"X20"
मूद्रालय/शौचालय की संख्या	38
बालक	बालिका
22	16
खेल का मैदान है या नहीं/साईज	है, 103.4मी० X 71मी०
I to V 30:1	VI to VIII 35:1
नामांकन 213, 27:1	नामांकन 146, 18:1
शिक्षकों की संख्या	16
प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
16	00

टेट उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या	05
प्राथमिक	मध्य
03	02
ऑनलाइन आवेदन की तिथि	03-04-2025
<p style="text-align: center;">इण्डाल घई स्कूल (12) <sup>सिंधूर</sup> मुरी, सिल्ली, न्यास</p> <p>इण्डालको मुरी एजुकेशन सोसाईटी से निकाला है। विद्यालय की कुल भूमि 3.84 एकड़ है। वर्गों का आकार पेयजल, शौचालय, RTE के तहत पाया गया। बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं उपस्कर परीक्षा संख्या में देखा गया। विद्यालय को RTE के तहत मान्यता देना उचित कारवाई किया जा सकता है।</p>	

  
 14/10/2025  
 प्रखण्ड शिक्षा प्रसार महाविद्यालय  
 प्रखण्ड शिक्षा प्रसार महाविद्यालय  
 सिल्ली (सीटी)

  
 अंचल निरीक्षण पदाधिकारी  
 प्रखण्ड का नाम:-

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची  
पत्रांक...1814.../

प्रेषक:-

बादल राज  
जिला शिक्षा अधीक्षक,  
राँची

सेवा में,

प्राचार्य,  
Indal High School (+2) Singhpur, Muri,  
Silli, Ranchi

राँची, दिनांक 23-06-25 /

विषय:-

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निजी विद्यालय को वर्ग 1 से 8 तक की मान्यता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अंकित करना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निजी विद्यालय को वर्ग 1 से 8 तक की मान्यता हेतु प्रस्ताव कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त के आलोक में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अभिलेख एवं संबंधित पदाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण आदि प्रक्रियाधीन है। संबंधित प्रखण्ड के विभागीय पदाधिकारी एवं अंचल निरीक्षण से जांचोपरान्त आपके प्रस्ताव को जिला स्थापना समिति, राँची के समक्ष मान्यता पर विचार हेतु रखा जाएगा।

सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

23/06/25

जिला शिक्षा अधीक्षक,

राँची  
23-06-25

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

पत्रांक...1800...../

प्रेषक,

बादल राज  
जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-  
नोडल पदाधिकारी आर.टी.ई. राँची।

सेवा में,

अंचल निरीक्षक, सिल्ली  
प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सिल्ली

विषय:-

झारखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं विभागीय अधिसूचना (संशोधित नियमावली 2019) के अंतर्गत विद्यालय का मान्यता देने के संबंध में।

राँची, दिनांक...23.../..06..../2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पर अंकित करना है कि झारखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं विभागीय अधिसूचना (संशोधित नियमावली 2019) के अंतर्गत विद्यालय की मान्यता प्राप्त हेतु निम्नांकित विद्यालय का संबंधित अभिलेख/फोल्डर कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जो निम्न प्रकार है।

1. गौतम बुद्ध रेसिडेंसियल स्कूल मुरी, सिल्ली, राँची
2. Indal High School (+2) Singhpur, Muri, Silli, Ranchi

अतः उक्त विद्यालयों से संबंधित फोल्डर/अभिलेख एवं विहित प्रपत्र संलग्न कर भेजते हुए कहना है कि विद्यालय से संबंधित सूचना/प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही जाँच-प्रतिवेदन के साथ जाँच की तिथि का 07 मिनट का विडियोग्राफी एवं विद्यालय का सभी ओर से लिये गये फोटोग्राफ संलग्न करेंगे।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

23/06/25

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-  
नोडल पदाधिकारी आर.टी.ई.

राँची

23-06-25